बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना हेतु आवश्यक सूचना

वित्तीय वर्ष 2015–16 से शुरू नई योजना "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना" के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष–2015 में 10वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग (BC-II) के वैसे परिवार के छात्रों, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत प्रति छात्र रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र की दर से एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

2. उक्त योजनान्तर्गत वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) या रू0 1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार) से कम हो, को मेधावृत्ति योजना का लाभ किन्हीं कारण से नहीं मिला है, वे दिनांक–20.01.2016 तक जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवश्यक अभिलेखों यथा–आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं बैंक एकाउंट की छायाप्रति जिसमें IFSC Code अंकित हो, जमा करेंगे ताकि आवश्यक जाँचोंपरान्त मेधावृत्ति योजना का लाभ दिया जा सके।

3. जिला कल्याण पदाधिकारी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रेषित सूची से मिलान कर आवेदित छात्रों के आवश्यक प्रमाण पत्रों की जाँचोंपरान्त ही समेकित रूप से सूची तैयार कर विभाग को दिनांक–30.01.2016 तक सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित करेंगे।

5/1/2016

सरकार के सचिव।